

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1982/अग्रहायण 10, 1904
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 1, 1982/AGRAHAYANA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है किन्तु कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1982

सं० 286/82—केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 731(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के
नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधि-
नियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1)
के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के

अधीन उस दर पर उद्घाटनीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के अनुसार घाट प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीज को लागू नहीं होगी, जिसका बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन विक्षेप किए जाने की अपेक्षा करती है।

[क०न० 14/32/82 सी०एक्सआई०]

आर० देव, अधर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1982

NO. 286/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of eight per cent ad valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[F. No. 14/32/82-CX. I]

R. DEB, Under Secy.